



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

केन्द्रीय विद्यालय संगठन / Kendriya Vidyalaya Sangathan / Autonomous body under Ministry of Education, Govt. of India

क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE

E-Mail : acbhopal@yahoo.com
Website : <http://trobhoat.kvs.gov.in>

☎ 0755 - 2550728 (DC)
2551678 (ACs)
2551690 (AO / FO)
Fax : 0755 - 2553128
मैदा मिल के सामने,
भोपाल - 462 011 (म.प्र.)
Opposite Maida Mill,
Bhopal - 462 011 (M.P.).

फा.27-1/2024/आई.सी.सी./के.वि.सं./भोपाल/ 6942-49

दिनांक : 16.08.2024.

रपीड पोस्ट / ई-मेल द्वारा

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/गार्ट-1 दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/गार्ट-1/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" की धारा-4(2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित इस कार्यालय के आदेश क्रमांक फा.27-1/2023/आई.सी.सी./के.वि.सं./भोपाल/7154 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा पूर्व में गठित समिति में संशोधन करते हुए "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन किया जाता है।

क्र.	समिति में पारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	Jurisdiction
1.	Presiding Officer	Smt. Nirmala Budania, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Bhopal Phone No. : 0755 - 2551678	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the Regional Office up to the level of Section Officer (excluding Finance Officer) and against Principals, Vice Principals & HMs of Bhopal Region.
2.	Female Member	Smt. Puja Shrivastava, Principal, Kendriya Vidyalaya, Schore Phone No. : 07562 - 224410 / 2258888	
3.	Male Member	Shri Gaurav Kumar Dwivedi, Principal, Kendriya Vidyalaya No. 1, Bhopal Phone No. 0755 - 2551640	
4.	NGO Member	Smt. Shobha Bhise, President, Organisation for Human Issues Alternative (OHIA), Bhopal Residence : B-188, Shahpura, Bhopal (MP) Phone No. 0755 - 4293715 / 4222038	

- टिप्पणी :- 1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
2. सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जायेगा, जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।
3. "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" / "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।

(आर. रीन्दिल कुमार)
उपायुक्त

वितरण :-

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य।
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन / शैक्षिक / मुख्य सतर्कता अधिकारी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
3. उपायुक्त / निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
4. सहायक आयुक्त (सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
5. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल संभाग को इस विदेश के साथ कि आदेश को विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने हेतु परिचालित करते हुए नोटिस बोर्ड पर चरपा करें। संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05.03.2019 (संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार विद्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुनर्गठित करने संबंधित उचित कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।
6. पी.ए. प्रकोष्ठ को इस अनुदेश के साथ कि उक्त आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये।
7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालनावार्थ।
8. नोटिस बोर्ड / परिपत्र प्रकाशित।